



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

फैक्स/मेल



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwdua@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 1589/09 E-50

देहरादून, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

: परिपत्र :

लोक निर्माण विभाग में प्रतिवर्ष मार्गों के रख-रखाव के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य कराया जाता है। सम्भवतः इसके लिए 10 प्रतिशत तक नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 05 प्रतिशत तक ही धनराशि उपलब्ध हो पाती है। जबकि अधिकांश किमी० बिना नवीनीकरण के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। अतः यह आवश्यक है कि इन भागों के क्रेक्स सीलिंग का कार्य अनिवार्य रूप से करा दिया जाय ताकि इसकी लाइफ कम से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित हो जाय अन्यथा यह भाग सबसे पहले क्षतिग्रस्त होता है तथा इनके नवीनीकरण/मरम्मत में अत्याधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। प्रत्येक वर्ष ऐसे मार्गों पर क्रेक्स सीलिंग Stress Absorbing Membrane (SAM) द्वारा कराया जाय।

(एच०के० उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (सिविल)/रा०मा०/ए०डी०बी०/पी०एम०जी०एस०वाई०/वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।